

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2016/ III - 289/ 923

दिनांक: 27/4/16

सेवा में,

मैसर्स आई०वी० काउन्टी(प्रा०) लिमिटेड,
ए - 39, सेक्टर - 63,
नोएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2016 के संदर्भ में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०एच० - 05, सेक्टर - 121, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ क्रय योग्य एफ०ए०आर० के सापेक्ष में पुनरीक्षित भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरपाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब यह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मीके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मैजेनहिन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे दूकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत ढालने से पूर्व कुसी तल पर एवं भूतल की छत ढालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. ब्रोशर, पट्टा प्रलेख, ठप पट्टा प्रलेख, ठप पट्टा प्रलेख, महायोजना, भवन विनियमावली आदि के यथा संशोधित आदि के अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।
16. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रसंगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावैस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।

Auth. Sign.

17. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
18. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नोएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
20. पंजीकरण एवं आर्बटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
21. पंजीकरण एवं आर्बटन पुस्तिका एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आर्बटी को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
22. सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बीओआईओएसओ/आईओएसओ के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अवीभोग में लाया जायेगा।
23. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैन्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉल्लिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था संबंधित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
24. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ, अवस्थापना सुविधाएँ, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुसंधान आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
25. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आर्बटन नियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नितियों, भवन विनियमावली - 2010, नोएडा महायोजन - 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जाएगा।
26. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारिरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
27. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवाएँ एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आनेवाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जेंज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
28. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आर्बटी को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
29. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्त्र होगी।
30. पुनरीक्षित मानचित्रों में दर्शायी गयी मार्ग/क्षेत्रफल तालिका में कोई भी बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव के लिए आर्बटी संस्था पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा।
31. प्रस्तावित अपार्टमेंट्स के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; नियम व उपविधि तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
32. आर्बटी को ग्रीन भवन हेतु आईओजीओबीओसी/लीड/ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशियेंसी द्वारा हर तीन वर्ष में आज्ञा पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करना होगा। अगर उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रेषित नहीं किया जाता है तो एक माह के नोटिस पर प्राधिकरण द्वारा उसको निःशुल्क प्रदत्त एफ.ए.आर. का प्रशमन शुल्क क्रय योग्य एफ.ए.आर. का 200% की दर से वसूल किया जायेगा।
33. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकॉष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य

है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्य होगी, अनापति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

34. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य होगी।

35. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा - निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा।

स्वीकृत भवन मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है। भवन निर्माण कार्य स्वीकृत भवन मानचित्र की वैधता तिथि के अन्तर्गत पूर्ण करने के उपरान्त अधिमोग प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार आवेदन करें तथा विना आज्ञा व अधिमोग प्रमाण पत्र किये बिना भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 99,820.00 वर्ग मी०
- अनुमत्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% = 39,928.00 वर्ग मी०
- आवंटन के समय अनुमत्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 1,49,730.00 वर्ग मी०
- दिनांक 04.02.2013 को स्वीकृत क्रय योग्य 1.25 = 1,24,775.00 वर्ग मी०
- कुल पूर्व स्वीकृत एफ०ए०आर०(1.5 + 1.25 = 2.75) = 2,74,505.00 वर्ग मी०
- कार्यालय पत्र दि० 2.03.2016 द्वारा स्वीकृत = 74,865.00 वर्ग मी०
- क्रय योग्य एफ०ए०आर०(0.75)
- अनुमत्य एफ०ए०आर० (2.75 + 0.75 = 3.5) = 3,49,370.00 वर्ग मी०
(2,74,505.00 + 74,865.00)
- एफ०ए०आर० पर अनुमत्य 5% ग्रीन बिल्डिंग हेतु एफ०ए०आर० = 17,468.00 वर्ग मी०
- कुल अनुमत्य एफ०ए०आर०(3.5 + 5%) = 3,66,838.50 वर्ग मी०

विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमत्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)
तहखाना (एफ.ए.आर.)		799.457	
भूतल	39,928.00	7838.637	10929.711
प्रथम तल		11006.947	14377.387
द्वितीय तल		10667.470	14279.150
तृतीय तल		10402.246	13234.806
चतुर्थ तल		10402.246	13234.622
पंचम तल		10402.246	13234.434
छठवां तल		10402.246	13234.138
सातवां तल		10402.246	13234.434
आठवां तल		10402.246	13234.622
नौवां तल		10402.246	13234.806
दसवां तल		10402.246	13234.806
ग्यारहवां तल		10402.246	13234.806
बारवां तल		10402.246	13234.622
तेरहवां तल		10402.246	13234.434
चौदहवां तल		10402.246	13234.138
पन्द्रहवां तल		8702.961	13234.434

W County Pvt. Ltd.

Auth. Sign.

सोलहवां तल	शेष एफ0ए0आर0	8702.961	13234.434
सत्रहवां तल		8702.961	13234.806
अट्ठारवां तल		8702.961	13234.806
उन्नीसवां तल		8702.961	13234.806
बीसवां तल		8702.961	13234.434
इक्कीसवां तल		8702.961	13234.434
बाइसवां तल		8702.961	13234.138
तैंइसवां तल		8702.961	13234.434
चौबीसवां तल		8702.961	12649.963
पच्चीसवां तल		8702.961	12649.963
छब्बीसवां तल		8702.961	12649.963
सत्ताइसवां तल		8702.961	10950.678
टैरिस तल		394.984	425.251
ग्रीन बिल्डिंग के लिए अतिरिक्त 5% के साथ अनुमन्य एफ0ए0आर0	3,66,838.50	2,68,672.940	3,66,837.460
सेवा क्षेत्रफल 15%	55,025.775	28745.691	52,401.662
स्टिल्ट		4500.618	6699.006
तहखाना	सेटबैक छोड़ने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	53430.76	62,734.634
अपर तहखाना		51807.05	62,734.634
लोअर तहखाना		105237.81	1,25,469.268
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल (सेवा, स्टिल्ट एवं तहखाना सहित)	= 2,68,672.940 + 105237.81+4500.618 + 28745.691 = 4,07,157.059 वर्ग मीटर		
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना सहित)	= 3,66,837.460 + 52,401.662 + 6,699.006 + 1,25,469.268 = 5,51,407.396 वर्ग मीटर		

- कुल पुनरीक्षित भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 26,322.486 वर्ग मी0 (26.37%)
- पुनरीक्षित एफ0ए0आर0 (ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधान सहित) = 3,66,830.460 वर्ग मी0

संलग्नक - स्वीकृत भवन मानचित्र ।

Map for proposed Building is as per Dya
Landed submitted for approval.

Dr. Ashu

Dr. Ashu

Dr. Ashu

नाम.....

पद.....

एररररररर गोड,
गुं वासुं
करका

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (ग्रुप हाऊसिंग), नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. सेक्रेट्री, स्टेट लेवल एन्वारमेंट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ०प्र०, डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट, डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड - 1, गोमती नगर, लखनऊ - २२६०१०, उ०प्र० को सादर सूचनार्थ ।

IV County Pvt. Ltd.

Auth. Sign.

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/गु०वा०नि०/2013/III - 289/ 651

दिनांक: 3/5/13

सेवा में

मैसर्स आई०वी० काउन्टी (प्रा०) लि०
(तत्समय नाम मैसर्स आई०वी०आर०एल इन्फ्रास्ट्रक्चर
एण्ड प्रोजेक्ट्स लि० बनाम आई०वी०आर०सी०)
ए - 39, सेक्टर - 63,
नोएडा - 201301

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2013 के संदर्भ में आप द्वारा पुनरीक्षित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण की उप विभाजित भूखण्ड संख्या जीएच - 05, सेक्टर - 121, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास लागू होगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. दिपली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर बातायात अवरोध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर जथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं नल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेंगे एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा वरन् पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसके पुनर्जीवित कर लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता स्थिति तक समझा जायेगा।

IV County Dist. Ltd.

Auth. Sign.

27. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परिशिष्टों को पूर्ण कर क्रियशील किए जाने तक सदा समीक्षा की जायेगी।
28. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आबंटन को परियोजना पूर्ण करने हेतु रिपेअरित समझौते के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
29. सभी प्रस्तावों के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधाएँ तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, जी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। बहुपक्षीय आलेख करने के साथ नियमानुसार उनका कमलेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिष्ठाता से लया जायेगा।
30. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार कचरा संग्रहण एवं वैक्यूम क्लेन का उपयोग, जलानुदित वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वसन, जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुदृढ़ एवं उत्खनन, गुणवत्तापूर्ण/सुरक्षित स्वच्छ एवं सामाजिक वातावरण, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/निर्देशों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुरोध करनी होगी।
31. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधाएँ, अवस्थापना सुविधाएँ, सभी स्लैन्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुक्रम आलेख संस्था की स्वीकृति करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
32. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्लैन्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग अन्तर्गत विचारणीय आदि का जल विभाजन, सब लोडिंग, सब लेंडिंग आदि आवश्यक संस्था द्वारा आवश्यक विभागावली, पट्टा प्रलेख, कोड प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2018, नोएडा नगरपालिका-2018 तथा अशोडित एवं अध्यासी के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित प्राधिकरण-की व्यवस्थाओं को पूर्णतया पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी कार्य कराने होंगे।
33. परियोजना की सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असंभव व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किये जायेगा।
34. परिसर के अक्षम भवनों का निर्माण, आवासीय एवं व्यावसायिक विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाएँ, जन सेवाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला सर्वोत्तम एवं आवश्यक को स्वीकार कराने होंगे जिसमें वेब समझौते, धारण, ऐन्स, खेती आदि (यथा लागू) की सम्मिलित है।
35. परिसर में प्रस्तावित/निर्मित क्षेत्र/क्षेत्र एवं यहाँ पर रखरखाव गुणवत्तापूर्ण आबंटन की स्वीकृति अपने आप पर करना होगा।
36. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नये क्षेत्र/क्षेत्र के समक्ष ही अनुमान्य होगी।

स्वीकृत भवन/क्षेत्र एवं पत्र को साथ रखना है। भवन कार्य मानचित्र की वेबसाइट के अन्तर्गत पूरा होने के उपरान्त अधिष्ठाता/प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण किए भवन परीक्षण में ना लाने।

IV County Pvt. Ltd.

Auth. Sign.

- | | | |
|--|---|----------------------|
| • भूखण्ड का क्षेत्रफल | = | 99,820.00 वर्ग मी० |
| • अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% | = | 39,928.00 वर्ग मी० |
| • आर्बन के समग्र अनुमन्य एफएओआर @ 1.5 | = | 1,49,730.00 वर्ग मी० |
| • इय थोथ एफएओआर के साथ
अनुमन्य एफ.ए.आर @ 2.75 | = | 2,74,505.00 वर्ग मी० |
| • अनुमन्य ऊँचाई | = | कोई सीमा नहीं |
| • प्रस्तावित ऊँचाई | = | कोई सीमा नहीं |
| • विभिन्न तलों पर किये गये सर्वेक्षण | = | 86.460 मीटर |

= कोई सीमा नहीं
= 86.460 मीटर

$$= 86.460 \text{ गीटर}$$
[illegible]

IV County Pvt. Ltd.

Auth. Sign.

सहस्राना	सोल्डरिंग करने के परचाल शेष	53430.76
प्रथम सहस्राना	क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	51607.05
द्वितीय सहस्राना		105237.81
स्टिक्ट जल		4500.618
सोला क्षेत्रफल		28745.691
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (सहस्राना, स्टिक्ट एवं सोला सहित)	$= 258672.940 + 105237.81 + 4500.618$ $+ 28745.691 = 407157.059$ वर्ग मीटर	

प्रस्तावित मू-आवच्छादन क्षेत्रफल = 17000.829 वर्ग मीटर (17.04%)
 प्रस्तावित पक्का एरिया = 258672.940 वर्ग मीटर (2.692)
 प्रस्तावित ड्यूनिंग यूनिट्स = 2050 यूनिट्स

Map for proposed Building is as per Fire
 Level. Submitted for approval.

M. Asst. Asst. Archt. Architect

नाम...
 पद...
 मुख्य अधिकारी नियंत्रक
 कार्यालय

प्रतिलिपि:

✓ उप महाप्रबन्धक (ग्राम हाउ) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

IV County Pvt. Ltd.

Auth. Sign